अत्यन्त आवश्यक

राजस्थान सरकार
कार्मिक(क-1/गोपनीय प्रकोष्ठ) विभाग

क्रमांक:प.13(53)कार्मिक/क-1(गो.प्र./90   जयपुर, दिनांक 02.02.2000

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/
शासन विशिष्ठ सचिव/शासन उप सचिव/
समस्त अनुभाग

2. समस्त विभागाध्यक्ष(जिला कलेक्टरों सहित)

विषय:-अनिवार्य सेवानिवृत्ति बाबत् ।

महोदय,

आपका ध्यान कार्मिक(क-1)/गोपनीय प्रकोष्ठ) के परिपत्र दिनांक 26.04.99 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसके द्वारा राजस्थान सिविल सेवायें (पैंशन) नियम, 1996 के नियम 53(1) के अनुसार ऐसे सरकारी अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने 25 वर्ष की सेवा अथवा 50 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, पूरी करली हैं एवं अपनी अकर्मण्यता, संदेहास्पद सत्य निष्ठा, अक्षमता एवं अकार्यकुशलता अथवा असंतोषजनक कार्य निष्पादन के कारण जनहितार्थ आवश्यक उपयोगिता खो चुका हो, ऐसे सरकारी कर्मचारी/अधिकारी की स्क्रीनिंग कर तीन माह के नोटिस अथवा उसके स्थान पर तीन माह के वेतन व भत्तों के भुगतान के साथ तुरन्त प्रभाव से राज्य सेवा से सेवा निवृत्त किया जा सकेगा । इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा पूर्व परिपत्रों द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु लिखा जाता रहा है ।

कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 29.09.1999 द्वारा विभागों द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत कराने हेतु निवेदन किया गया था तथा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार दिनांक 31 अक्टूबर तक यह कार्यवाही पूर्ण हो जानी चाहिये थी । इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि मामले में कोई आशातीत प्रगति नहीं हो पाई है । चूंकि निर्धारित तिथि 31 अक्टूबर निकल चुकी है एवं विभागों से सूचना आनी बाकी है, अतः आपसे अनुरोध है कि चालू वित्त वर्ष से सम्बन्धित कार्यवाही अतिशीघ्र पूर्ण की जाकर सूचना कार्मिक विभाग को आवश्यक रूप से प्रेषित कर दें तथा आने वाले वर्ष के लिये सुनिश्चित करें कि समय अवधि में ही यह कार्यवाही प्रभावी ढंग से पूर्ण कर ली जावे ।

भवदीय

शासन सचिव 2/2/2000